

सं०- 16/बी.1-08/2018 - 48 'ब' (आ.चि.)  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

/पटना, दिनांक - 27.03.2019

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय, विपत्र कोड- 20-2210041010002 मांग संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल- 59,76,000/- (उनसठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल - 59,76,000/- (उनसठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या -354/वि० दिनांक 28.03.2018, वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 एवं 6903 दिनांक 13.09.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय, विपत्र कोड- 20-2210041010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र 868/वि० दिनांक-10.12.2018 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. मकान किराया कर के लिए अद्यतन भवन उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किराया दर की सत्यापित प्रति के साथ मांग पत्र भेजी जाय ताकि आवंटन पर विचार किया जा सके।

11. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27/03/19

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं० - 48 'ब' (आ.चि.)

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

0002-ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय विवरणी- 2018-19							
क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	157556000	141152700	5176000	146328700	11227300
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	35225000	35222140	0	35222140	2860
3	मकान किराया भत्ता	01 04	11005000	9959910	800000	10759910	245090
4	परिवहन भत्ता	01 05	257000	257000	0	257000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	1720000	1639900	0	1639900	80100
6	अन्य भत्ता	01 07	33000	26090	0	26090	6910
	<b>योग (वेतन एवं भत्ता)</b>		<b>205796000</b>	<b>188257740</b>	<b>5976000</b>	<b>194233740</b>	<b>11562260</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	500000	103110	0	103110	396890
8	यात्रा व्यय	11 01	381000	321500	0	321500	59500
9	कार्यालय व्यय	13 01	1000000	952000	0	952000	48000
10	विद्युत प्रभार	13 04	200000	199500	0	199500	500
11	वर्दी/पोशाक	13 06	186000	140500	0	140500	45500
12	किराया म0 एवं कर	14 01	1000000	584700	0	584700	415300
13	प्रशिक्षण व्यय	20 03	100000	16000	0	16000	84000
14	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	700000	700000	0	700000	0
15	दवा भंडार	21 02	6900000	6900000	0	6900000	0
16	मशीन एवं उपस्कर	52 01	2325000	1946000	0	1946000	379000
	<b>योग</b>		<b>219088000</b>	<b>200121050</b>	<b>5976000</b>	<b>206097050</b>	<b>12990950</b>

(उनसठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

48'ब' (आ. नि.)

27.3.2019

0002 राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषधालय वर्ष-2018-19

क्र.सं.	जिला का नाम	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय	वेतन	जी०या० भत्ता	म०कि० भत्ता	परि० भत्ता	घि० भ०	अन्य भ०	योग (वेतन एवं भत्ता)	चि० प्रति०	या० व्यय	का० व्यय	विद्युत प्रभार	वर्दी / पोशाक	कि०म० एवं कर	प्रशि० भत्ता	सामग्री / पूर्तियां	दवा मंडार	मशीन / उपस्कर	कुल	
			01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	06-01	11-01	13-01	13-04	13-06	14-01	20-03	21-01	21-02	52-01			
1	गया	बोध गया	500000		200000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000
2		शहरतेलपा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बेगूसराय	भैरवार	2000000	0	200000	0	0	0	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200000
4		अझौर	700000	0	200000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000
5		नावकोठी	426000	0	0	0	0	0	426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426000
6		विनोदपुर	1550000	0	200000	0	0	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750000
कुल			5176000	0	800000	0	0	0	5976000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5976000

(उनसठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

48 'ब' (आ.चि.)

27.3.2019